न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री संजीव कुमार खैदर आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2023

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
01– मगनाराम पुत्र भारतारामजी जाति रेबारी निवासी वोढा 02– मसरूराम पुत्र भारतारामजी जाति रेबारी निवासी वोढा तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)	बनाम	भूमिधारी तहसीलदार सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1– प्रार्थीगण वकील श्री भगवतीप्रसाद बालौत उपस्थित।

2– अप्रर्थी की ओर से राज पेरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 27/07/023

01– यह है कि प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का कब्जासुदा व खातेदारी का खेत वाके सरहद मौजा वोढा में खेत खसरा संख्या 737/646 रकबा 1.94 हैक्टर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी मगनाराम का 1/3 हिसा व प्रार्थी मसरूराम का 2/3 हिस्सा आया हुआ है तथ उक्त खसरा संख्या राजस्व रेकर्ड मे अलग तरमीमसुदा [illegible] खेत की माठ जो पाडौसी खातेदार पांचूदेवी की तरफ नष्ट हो चुकी है तथा उक्त माठ हेतु हमेशा विवाद पैदा होता है तथा इस हेतु [illegible] स्थाई समाधा[illegible] मात्र नेखमबंदी होने से प्रार्थना पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.08.04 11:51:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, नायब तहसीलदार सांचोर ने दिनांक 25–07–2023 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुयें निवेदन किया कि मौजा वोढा में प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 737/646 रकबा 1.94 हैक्टर का आया हुआ है उक्त खेत राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम सुदा है तथा उक्त आरजी पर प्रार्थीगण का काश्त कब्जा आया हुआ है तथा प्रार्थीगण एक शांत स्वभाव के काश्तकार है परन्तु उक्त खेत पांचूदेवी के खेत की तरफ की माठ नष्ट हो जाने से हमेशा माठ को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। अतः प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 'अ' में मार्क ए टू एन अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो ओर स्थाई नेखमबंदी करने का आदेश फरमावें।

राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचोर ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुयें निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में खेत खसरा संख्या 737/646 रकबा 1.94 हैक्टर के प्रार्थीगण खातेदार है तथा उक्त खसरा संख्या राजस्व रेकर्ड में नक्शे में अलग से तरमीमसुदा है तथा माठ बाबत् विवाद हो तो उक्त खेत के चारो ओर पैंमाईश कर स्थाई नेखमबंदी (पत्थरगढी) की जाती है, कोई आपत्ति नहीं है। नायब तहसीलदार सांचोर ने अपने जवाब के साथ उक्त खेत की पैमाईश (सीमांकन) की मौका फर्द हल्का पटवारी वोढा की फोटो प्रति पेश की।

मैंनें उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति अध्ययन व अवलोकन किया गया।

उक्त प्रकरण में विचारणीय बिन्दू निम्न है :–

(अ) आया वाके सरहद मौजा वोढा के खेत खसरा संख्या 737/646 रकबा 1.94 हैक्टर भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है, यदि हां तो प्रार्थीगण अपनी सुविधा हेतु उक्त खेत की माठ पर माठ विवाद के स्थाई समाधान हेतु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार पत्थरग[illegible] के अधिकारी है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.08.04 11:51:14 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी [illegible] अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वाके सरहद मौजा वोढा के खसरा संख्या 737/646 रकबा 1.94 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज है तथा कब्जा काश्त प्रार्थीगण का होना साबित है

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तथा नायब तहसीलदार संचोर के जवाब के साथ प्रस्तुत हल्का पटवारी वोढा की सीमांकन मौका फर्द से उक्त खेत की माठ बाबत् विवाद होना स्पष्ट होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार सांचोर को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार अपने नेतृत्व में टीम गठित कर वाके सरहद मौजा वोढा के खेत खसरा संख्या 737/646 रकबा 1.94 हैक्टर कीं पैमाईश कर प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार उक्त खेत के चारो ओर प्रार्थीगण के खर्चे से पत्थरगढी स्थाई नेखमबंदी करावें, आवश्यकता हो तो पुलिस ईमदाद ली जावें।

(संजीव कुमार खैदर)
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

निर्णय आज दिनांक 27/07/023 को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचोर

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.08.04 11:51:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner